अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 456(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 09.12.2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 1275 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''इम्पैक्ट इंडिया फाउन्डेशन, एनएचएवीए हाउस, 65, महर्षि कार्वे रोड, मुंबई - 400002'' द्वारा ''अशक्तता कम करने की परियोजना'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था, और जिसे बाद में दिनांक 5.7.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1007(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 को प्रारंभ होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; और जिसे बाद में दिनांक 03.10.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2397(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया और जिसे बाद में दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1870(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के ग्यारह वर्षो से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा ''इम्पैक्ट इंडिया फाउन्डेशन, एनएचएवीए हाउस, 65, महर्षि कार्वे रोड, मुंबई -400002'' द्वारा चलाई जा रही ''अशक्तता कम करने की परियोजना'' की परियोजना अथवा स्कीम को 590.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

[सं. 86/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-**एसओ** (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)